भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1439
(20 सितंबर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के लिए निधि

1439. श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों सहित दिनांक 01.04.2020 से 31.08.2020 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत सृजित होने वाले कार्यदिवसों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय को लगता है कि इस वर्ष मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपए का आवंटन पर्याप्त है;
(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय ने अतिरिक्त निधियों के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है; और
(घ) यदि हां, तो इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के तुलनात्मक राज्य-वार आँकड़ों के साथ-साथ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (महात्मा गाँधी नरेगा) योजना के अंतर्गत अप्रैल से अगस्त तक सृजित श्रम-दिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है।

(ख) से (घ): महात्मा गाँधी नरेगा योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (महात्मा गाँधी नरेगा) योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज़ निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और केंद्र सरकार काम की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, महात्मा गाँधी नरेगा योजना का बजट अनुमान 61,500 करोड़ रुपए है। शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर कामगारों की वापसी के कारण काम की अतिरिक्त मांग की पूर्ति करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान माननीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार आत्म निर्भर भारत पैकेज में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। जमीनी स्तर पर काम की मांग की पूर्ति के लिए जब कभी आवश्यक होता है तब मंत्रालय महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की मांग करता है।

दिनांक 20.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1439 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

अप्रैल से अगस्त तक सृजित कुल श्रम-दिवस					
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	आँध्र प्रदेश	160558712	161237956	145573375	203716093
2	अरुणाचल प्रदेश	1312968	1405301	2248776	5527842
3	असम	19164039	17943966	30423309	23652463
4	बिहार	52659534	60301076	66839598	112035561
5	छत्तीसगढ़	55684220	68541559	67399178	95769910
6	गोवा	74339	5143	1828	21619
7	गुजरात	18725152	21619237	19905579	31766988
8	हरियाणा	4453280	2980794	3266189	8049309
9	हिमाचल प्रदेश	9951542	12560871	11239334	15985913
10	जम्मू और कश्मीर	7047166	7853667	4398990	9512371
11	झारखंड	31895801	31086762	33839238	40998591
12	कर्नाटक	47676947	30862640	64905519	82324966
13	केरल	10450452	22726571	28630393	30932702
14	मध्य प्रदेश	84571161	83696879	95244347	157994919
15	महाराष्ट्र	41097959	44470918	33055072	30858798
16	मणिपुर	1104558	2033805	4890877	10049456
17	मेघालय	7627613	7072893	7356106	12642526
18	मिजोरम	8103827	8677870	9515758	11681862
19	नागालैंड	11542270	3003345	1982011	10442832
20	ओडिशा	42036515	46899798	33524518	90391315
21	पंजाब	10230124	7224826	11615898	14491982
22	राजस्थान	137563603	117855614	208673767	271009735
23	सिक्किम	1369954	1576114	1150794	1767693
24	तमिलनाडु	159006212	65056821	146173447	133055595
25	तेलंगाना	96717424	99449031	89958597	120187462
26	त्रिपुरा	10585577	8011027	16477759	18386352
27	उत्तर प्रदेश	82136893	102016911	105047159	230990483
28	उत्तराखंड	9124828	9128820	7105394	12777521
29	पश्चिम बंगाल	137577719	130168149	61157265	207999989
30	अंडमान और निकोबार	100403	66075	70974	89449
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0	0
33	लक्षद्वीप	658	5023	682	1078
34	पुदुच्चेरी	573573	478391	436182	871747
	कुल	**1260725023**	**1176017853**	**1312107913**	**1995985122**